



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.



(U.P. GOVT UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 (QMS) and ISO 14001 : 2004 (EMS) CERTIFIED
CIN No. : U85320 UP 1975SGC004116

EPBX { 2720671
2720665
2720670

Fax - 0522-2720846

Website : <http://www.uprnn.co.in>

पंजीकृत कार्यालय
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ-226010

Registered Office :
Vishweshwariya Bhawan, Vibhuti Khand,
Gomtinagar, Lucknow-226010

संख्या २६९/कैम्प-प्र.नि./गा०फा०/श०।नि।नि./२०१७

दिनांक 17-5-2017

महाप्रबन्धक (वि०अं०-1,2,3 व 4)
उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि०
लखनऊ / दिल्ली / इटावा।

अतिमहत्वपूर्ण
अनुस्मारक

विषय:-समस्त कार्य ई-टेण्डरिंग एवं सामग्रियों का क्रय ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-350/23-7-2017-176(सामान्य)/06 टी०सी० दिनांक 31.3.2017 समस्त कार्य ई-टेण्डरिंग एवं सामग्रियों का क्रय ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से किये जाने के आदेश किये गये हैं एवं उक्त क्रम में कृपया अधोहस्ताक्षरकर्ता के परिपत्र संख्या-159/कैम्प-प्र०नि०/ गा०फा०/ रानिनि/2017 दिनांक 9.4.2017 एवं अनुस्मारक पत्रांक-178/कैम्प-प्र०नि०/गा०फा०/रानिनि/2017 दिनांक 17.4.2017 एवं पत्रांक-268/कैम्प-प्र०नि०/गा०फा०/रानिनि/2017 दिनांक 15.5.2017 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि शासनादेश दिनांक 31.3.2017 का पूर्णतया सुनिश्चित किया जाये। समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक अपने अधीनस्थ इकाईयों पर उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करयेंगे तथा यदि किसी इकाई पर उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा शिथिलता की स्थिति पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध शख्त कार्यवाही की जायेगी। पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समय-समय परिपत्र व अनुस्मारक पत्रांक-300/विविध-30/रानिनि/17 दि० 25.3.17 प्रेषित कर निर्देशित किया जाता रहा है कि मैनुवल प्रस्तर-102ए के अनुपालन में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर एवं व्यापक प्रचार प्रसार कर निर्धारित मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक एवं मितव्ययी दरों पर गुणवत्तायुक्त सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सिविल इकाई द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है, परन्तु विद्युत इकाईयों से अनुपालन की स्थिति से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जिससे ज्ञात हो सके कि सन्दर्भित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं अभी तक किये गये अनुपालन की स्थिति से अवगत कराया जाये। यदि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पाई जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा एवं सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(आर०के०गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्तीय परामर्शदाता, उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ।
2. कैम्प कार्यालय-प्रबन्ध निदेशक/उप-प्रबन्धक(आई०टी०), उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ।
3. श्री सो०के०श्रीवास्तव, परियोजना प्रबन्धक(वि०), उ०प्र०रा०नि०लि०लि०हाईकोर्ट इकाई-1, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक 17/5